

22.6.22

पत्रावली पेश की। उभयपक्ष उपस्थित।
वकील उभयपक्ष ने बहस करनी चाही।
बहस सुनी गई। मजक किया गया
एवं पत्रावली वा अपवोकक करने पर
पाया गया कि तहसील से प्राप्त
विभाजन सप्तक अनुसार श्रमि का
विभाजन किया जाना उचित नहीं
होता है।


अतः तहसील से प्राप्त बंटवारा

सप्तक अनुसार श्रमि तहसील बंटवारा

के क्रम 19/14 के पत्र- 23/14 मु.क्रं.

19 के किला के 1 का 15 की कुल

फर्द अहकाम

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>3.795 हेक्टेयर बुधिम भूमि का वारीगण एवं प्रतिवारीगण के मध्य बंटवारा क्रिया आरम्भ अन्तिम टिकी जारी की जाती है। तटसीमाघाट घड़साना इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामत करे। पहावली का तस्वीर तक्रमील होकर हाकिम हस्ता हो।</p> <p style="text-align: right;">  (अनिवाक्य) उपखण्ड अधिकारी घडसाना </p>	